

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।

(जी-3, राजमहल पैलेस रेजिडेंशियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर-302013)

(टैलीफैक्स-0141-2222403, ई-मेल-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांक:-एफ29( )फायर/विविध/डीएलबी/18/3925-4126 दिनांक: 13/06/2019

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,  
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,  
समस्त राजस्थान।

विषय:- राज्य की नगरीय निकायों में स्थापित प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी उपकरणों में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 15432-15438 दिनांक 25.05.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि राज्य के सभी नगरीय निकाय अपने यहाँ संचालित होने वाले कोचिंग सेंटर्स, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल या ऐसे ही अन्य ऑडिटोरियम आदि स्थानों पर Fire safety के सम्बन्ध में निरीक्षण कर, निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को नियत समयावधि में दूर करने बाबत नोटिस जारी किये गये थे, किन्तु कतिपय भवन मालिकों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि नोटिस जारी करने के बाद भी नियत समयावधि में जिन भवन मालिकों द्वारा फायर सेफ्टी के उपकरण स्थापित नहीं किये गये हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से विभाग को अवगत करावें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-एफ29( )फायर/विविध/डीएलबी/17/3925-4126 दिनांक: 13/06/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर एवं भरतपुर।
2. सुरक्षित पत्रावली।

(अलका मीणा)

(उप निदेशक (प्रशासन))